न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 19/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–मॉगरोल **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री वरूण आत्मज श्री सुरेशकुमार जाति–महाजन निवासी ग्राम रायथल तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री महेशप्रकाश गौतम अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 25.09.2019

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी श्री वरूण पुत्र सुरेशकुमार के गत सेटलमेंट 2014 से 2023 के अनुसार ग्राम रायथल की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2023 में ख0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वर्तमान सेटलमेंट 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 व 320 रकबा 0.27 कुल 1.48 है0 से मिलकर, ख0नं0 2258 रकबा 1.42 है0 कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसमें से 1.21 है0 गै.मु.तलाई है। इस प्रकार उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी. बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से दिनांक 30.07.2015 अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी की ओर से दिनांक 25.04.2016 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 2558 रकबा 1.21 है0 आराजी होना स्वीकार है किन्तु उक्त आराजी पर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज किया जाना अस्वीकार है। कानूनन रूप से केचमेंट विभाग द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत किस्म परिवर्तन करके अप्रार्थी के खाते दर्ज की गयी है एवं उल्लेखित सभीं बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुये विशेष कथन में लिखा है कि रेफरेंस कार्यवाहीं मियाद बाहर है। अप्रार्थी के खातेदारी मिले लगभग 28 साल हो चुके है तथा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 के निर्णय भी दिनांक 2.8.2004 को पारित हुआ है जिसको भी लगभग 12 वर्ष हो चुके है। इसलिये निर्णय की दिनांक से हीं रेफरेंस कार्यवाहीं मियाद बाहर है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

सेटलमेंट एवं केचमेंट विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों के तहत किस्म परिवर्तित करके आराजी को नहरी II दर्ज किया गया है, तब से हीं अप्रार्थी का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा एवं स्वामित्तव निरन्तर बरकरार है। उक्त आराजी केचमेंट एरिया में स्थित है तथा वर्तमान में किसी भी रूप से गै.मु.तलाई के रूप में काम नहीं आ रहीं है ना हीं वहॉ पूर्व में किसी प्रकार की गै.मु.तलाई स्थित थी। अतः रेफरेंस मियाद बाहर चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्धान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को पिता श्री सुरेश कुमार जी को ग्राम रायथल में आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुयी थी। उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी। उससे पूर्व भी पहले सेटलमेंट में भी तलाई दर्ज थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 व 320 रकबा 0.27 कुल 1.48 है0 से मिलकर, ख0नं0 2258 रकबा 1.42 है0 किस्म नहरी II कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसमें से अप्रार्थी की आराजी रकबा 1.21 है0 गै.मु.तलाई है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार,

मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को पिता श्री सुरेश कुमार जी को ग्राम रायथल तहसील–मॉगरोल में आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जो दिनांक 17.10.1967 से उनके गैर खातेदारी में दर्ज हुई व बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट व केचमेंट नये नम्बर 2558 रकबा 1.42 है0 कायम किये गये है, जिसपर अप्रार्थी बदस्तूर काबिज काश्त है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी को लगभग 28 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है तथा तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा गलत कार्यवाहीं कर रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में रेफरेंस प्रस्तुत किया है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को भी लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जो भी मियाद बाहर हो चुका है। अब पालना कराया जाना किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। अतः रेफरेंस तहसीलदार, मॉगरोल खारिज फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी के पिता श्री सुरेश कुमार जी को ग्राम रायथल में आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुयी थी। उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 व 320 रकबा 0.27 कुल 1.48 है0 से मिलकर नये ख0नं0 2258 रकबा 1.42 है0 किस्म नहरी II कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसमें से अप्रार्थी की आराजी रकबा 1.21 है0 गै.मु.तलाई है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता श्री सुरेश कुमार को ग्राम रायथल तहसील–मॉगरोल की आवंटित आराजी खं0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई भूमि आवंटित हुयी थी, जिसकी किस्म गै.मु.तलाई होने से आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 318 रकबा 1.21 है0 कायम हुए एवं बाद केचमेंट ग्राम रायथल ख0नं0 318 रकबा 1.21 है0 के नये ख0नं0 2258 रकबा 1.21 है0 किस्म नहरी II कायम हुये है, जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल

रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 सं ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी श्री वरूण पुत्र श्री सुरेश कुमार के वर्तमान में वाके ग्राम रायथल तहसील—मॉगरोल में दर्ज आराजी 2558 रकबा 1.21 हैक्टयर किस्म नहरी II जो मूल रूप से सेटलमेंट व केटमेंट पूर्व ख0नं0 860 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा ग्राम रायथल से बना है, अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनश्चित करे।

10— तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो खातेदार वरूण पुत्र श्री सुरेश कुमार के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2558 रकबा 1.21 हैक्टयर किस्म नहरी II की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.10.24 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: